इंदिरा गाँधी सम्मेलनः "भारतः अगले दशक में" के अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण

19 नवम्बर, 2004
नई दिल्ली

सोनिया जी, देवियो एवं सज्जनो

इंदिरा गांधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता हो रही है। यह ऐसा सम्मेलन है जिससे मैं विगत में घनिष्टता से जुड़ा रहा हूँ और इन सम्मेलनों में विचार किए गए विषयों के स्वरूप को देखते हुए मुझे इसका हमेशा से इन्तजार रहा है। आज मुझे यह जानकर और भी खुशी हो रही है कि अनेक जाने-माने विद्वान, जनता के प्रमुख व्यक्ति और इंदिरा जी के अनेक पुराने मित्र और शुभचिन्तक इस वर्ष के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। नई दिल्ली सम्मेलनों का शहर बन गया है और जाड़ों के महिनों में यहां ऐसे अनेक आयोजनों की हलचल रहती है। तथापि, इंदिरा गांधी सम्मेलन का न केवल इस शहर के बुद्धिजीवीवर्ग में बल्कि विश्व भर के अनेक विद्वानों तथा नीति-निर्माताओं के बीच विशेष स्थान है क्योंकि इंदिरा गाँधी सम्मेलन वर्तमान समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में ही व्यस्त नहीं रहा है। बल्कि हमने अपने समय की ज्यादा स्थाई चुनौतियों और कठिनाइयों पर विचार करने का प्रयास किया है।

यह उचित भी है क्योंकि ये सम्मेलन उस महिला के जीवन पर प्रकाश डालते हैं जिनकी दृष्टि और ज्ञान की गहराई 20वीं सदी के अधिकांश राजनीतिक नेताओं से बेहतर थी। वे ऊँची और दूरगामी सोच रखती थी। वास्तव में इंदिरा गाँधी की सोच भारतीय थी लेकिन उनका परिप्रेक्ष्य निरपवाद रूप से विश्वव्यापी था। वे भारत के विकास, खुशहाली और भलाई तथा राष्ट्रों के बीच हमारे देश को उचित स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थीं। इंदिरा जी एक राष्ट्रवादी तथा सच्ची देशभक्त थीं। फिर भी, उनकी सोच विश्वस्तरीय थी और वे विश्व की नागरिक थीं। अपने पिता से सीखे विश्व इतिहास के पाठ ने उनमें ज्ञान की एक मजबूत नींव रखी जिसपर उन्होंने अपनी विश्व-दृष्टि की इमारत खड़ी की।

इसलिए इन सम्मेलनों में हमने विगत में जिन विषयों पर चर्चा की है, वे इंदिरा जी की सोच और व्यक्तित्व को अच्छी तरह से प्रतिबिम्बित करते हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय इसकी संरचना के अनुकूल है। भारत के लिए ही नहीं बल्कि आज के सभी बौद्धिक विचारकों के लिए इससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण तथा अधिक विचारणीय विषय -- कि भारत अगली सदी में किस तरफ जाएगा -- नहीं हो सकता था।

हमारे जैसे प्राचीन देश के इतिहास में एक दशक कोई लम्बी अवधि नहीं है। फिर भी, उन लोगों जिन्होंने सदियों तक काफी कम परिवर्तन देखा है, के लिए पिछले कुछ दशक युगान्तरकारी रहे हैं। यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के किसी दशक के शुरू में अपने आपको रखकर यह प्रश्न पूछें कि एक दशक के बाद हमारा राष्ट्र और हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ होगी, क्या इसका कोई आभास होता है, इसका स्पष्ट उत्तर निश्चय ही

'नहीं' होगा। उदाहरण के लिए, एक दशक पूर्व कुछ ही लोग विदेशी विनिमय क्षेत्र में हमारी समृद्धि का अनुमान लगा पाते। वह समय चला गया जब ऋण भुगतान की समय-सारणी ने हमारी आँखों की नींद उड़ा रखी थी। आज हम गर्व के साथ यह दावा कर सकते हैं कि विदेशी विनिमय अब एक स्थायी बाधा नहीं रही है। यह स्वागत योग्य बात है कि विश्व के देश अब भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं। यदि हम अपने अतीत से सही सबक सीखें और भविष्य के बारे में निर्भीकता से सोचने का साहस करे तो अगला दशक हमें और भी ज्यादा अवसर उपलब्ध करा सकता है।

भारत की संकल्पना एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में की गई थी जिसमें 20वीं सदी का सर्वाधिक निर्भीक सामाजिक प्रयोग किया जाना था। औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित करने वाले उपनिवेशों में से एक हमारा यह देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकास के प्रति अपने आपको पूर्णतः समर्पित करने वाले देशों में भी प्रथम था। हमारे संविधान को परिभाषित करने वाले सिद्धांतों जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में तपे-तपाए हमारे लोकतंत्र के संस्थापकों द्वारा लिखे गए थे, को अब सभ्य समाज के सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्रवाद, सामाजिक न्याय और विधि-सम्मत शासन के अधीन सभी लोगों की समानता, इस विरासत पर गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है।

फिर भी, इससे पहले कि हम विश्व से बहुलवादी लोकतंत्र में हमारे प्रयोग को महत्व देने की मांग करें, हमें कुछ दूरी तय करनी होगी। इसका कारण यह है कि हमने विश्व और वस्तुतः अपने लोगों के समक्ष भी अब तक यह नहीं दिखाया है कि हमने अपने लिए जो राजनीतिक ढाँचा तैयार किया है, वह हमें गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन की विभीषिका से मुक्ति भी दिला सकता है और एक शक्तिशाली, मुक्त, समतामूलक, प्रतिस्पर्धी और समृद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण भी कर सकता है। प्रायः यह पूछा जाता है कि ऐसी राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या फायदा है जो हमें केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रदान करती है लेकिन भोजन पाने का अधिकार प्रदान नहीं करती। क्या भूखे पेट भविष्य के बारे में सोचा जा सकता है? क्या चिड़चिड़ा व्यक्ति हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच सकता है? यदि भारत आर्थिक मोर्चे पर विकास नहीं करता है तो क्या राजनीतिक मोर्चे पर विकास जारी रह सकता है? मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से कुछ प्रश्न इस सम्मेलन में आपका ध्यान अवश्य आकर्षित करेंगे।

भविष्य में झाँकना हमेशा से ही एक जोखिमभरा कार्य रहा है। तथापि, ज्योतिषी तथा भविष्यवक्ता ऐसा करने से बाज नहीं आते हैं और हम जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी अपने परिष्कृत मॉडलों तथा सांख्यिकी उपकरणों की मदद से ऐसा ही किया है। तथापि, मैं दाँते की इस चेतावनी से अवगत हूँ कि जो भविष्य के बारे में बताने का दुःसाहस करेगा उसके लिए नरक में एक विशेष स्थान सुरक्षित है। लेकिन मैंने आपका आमंत्रण स्वीकार किया है और मैं इसे पूरा करुंगा।

अगले दशक के बारे में विचार करने के पूर्व, हम थोड़ा रुककर अपनी विरासत पर प्रकाश डालना चाहेंगे। इतिहासकार एंगस मडिसन ने बड़े परिश्रम से गत तीन दशकों की विश्व आय की रूपरेखा तैयार की है और दिखाया है कि औद्योगिक युग के पूर्व सन् 1700 में भारत, चीन और यूरोप की विश्व आय में समान हिस्सेदारी थी। विश्व आमदनी में प्रत्येक की हिस्सेदारी लगभग 23% थी। 20वीं सदी के मध्य तक भारत की हिस्सेदारी कम होकर सिर्फ 3% और चीन की हिस्सेदारी 5% रह गई थी। यूरोप और अमेरिका की सम्मिलित आमदनी विश्व की कुल आय का 50% थी। पिछली दो सदियों के आधार पर हमने अपनी आय को पुनः बढ़ाने की कोशिश की है। सन् 1900 से 1950 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष लगभग "शून्य" की वृद्धि की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1950 से लेकर 1980 के बीच 3.5% और 1980 से अब तक के बीच लगभग 5.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। इस ट्रेक रिकार्ड को देखते हुए यदि हम अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करें तो अगले दशक में 7.5% की वृद्धि दर्ज न होने का कोई कारण नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

स्पष्टतः हमारे सामने प्रश्न यह है कि निकट भविष्य में विकास की दर में अपेक्षित तेजी लाने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए? इसका उत्तर मिलना आसान है। भारत को आर्थिक गतिवाद के एक नए दौर की जरूरत है। 'भारत के विचार' में विश्वास करने वाले उन सभी लोगों की उद्यमशीलता और सृजनशीलता के आधार पर निवेश की एक नई लहर की जरूरत है। अब हमारे सामने भारतीयों की एक नई पीढ़ी है जिनमें देश के भविष्य के प्रति एक नई प्रतिबद्धता है और जिनका हित भी इससे जुड़ा हुआ है। विश्व भर में ऐसे अनेक लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत सफल हो और खुशहाल बने। हमें उनकी रचनात्मकता, उनकी उद्यमशीलता और भारत में उनकी आस्था को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए हर सम्भव उपाय करने चाहिए। हमें एक ऐसा नीतिगत ढांचा बनाना चाहिए जो उद्यमशीलता, अभिनव विचार तथा रचनात्मकता को पुरस्कृत करे।

मानव विकास, जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, पर हमारी ओर से तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा करना जरूरी है ताकि हमारी विशाल जनसंख्या को एक बोझ समझने की बजाए एक परिसम्पत्ति में परिवर्तित किया जा सके। अशिक्षित, अस्वस्थ, अकुशल और शक्तिहीन व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से बोझ होते हैं। शिक्षित, स्वस्थ्य, दक्ष और शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति परिसम्पत्ति और सतत विकास के आधार होते हैं। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी स्थिति में काफी तेजी से सुधार लाने की जरूरत है।

दूसरे, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मकता और उद्यमशीलता की नई क्रान्ति लानी होगी। हमें कृषि प्रधान भारत को आय और रोजगार सृजित करने वाली तथा बुनियादी ढाँचे और शिक्षा तथा स्वस्थ्य देखरेख के क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित करने वाली एक आधुनिक एवं सक्षम अर्थव्यवस्था में बदलने की जरूरत है। भारत को एक दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है जिसका लक्ष्य निवेश से प्राप्त होने वाली आय और कृषि क्षेत्र में भूमि तथा श्रम दोनों, की उत्पादकता में वृद्धि करना होना चाहिए। भारत के गाँवों का विकास होना जरूरी है। कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है। यह हमारी प्राथमिकता है। हरित क्रांति इंदिरा जी के शुरूआती तथा स्थायी योगदानों में से एक था।

उनके साहस तथा दूरदृष्टि और व्यावसायिक लोगों तथा मानवीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधानों में उनकी आस्था से हम भूखमरी के खिलाफ लड़ाई में विजय हासिल करने में सफल रहे। जब हम मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे उस हालात से आज हम इस स्थिति में होने का दावा कर सकते हैं जहाँ हम खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि हमारे पास फालतू खाद्यान्न भी हैं।

लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का एकमात्र उद्देश्य खाद्यान्न सुरक्षा ही नहीं है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, बुनियादी ढाँचा तथा बेहतर सम्पर्क-व्यवस्था विकसित करनी होगी और मानवीय क्षमताओं में सुधार लाना होगा। हमारे किसानों की शिक्षा और कृषि क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध एवं विपणन पद्धतियों का इस्तेमाल भी सुनिश्चित करना होगा। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाना अगले दशक की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, हमें खाद्य सुरक्षा के बारे में अपनी सोच को व्यापक बनाना होगा ताकि हम कुपोषण का मुकाबला कर सकें जिससे हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रभावित होता है, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, तथा बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

तीसरे, सम्पूर्ण देश को विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर सम्पर्क बनाने की जरूरत है। यह कार्यसूची हमने अपने लिए निर्धारित की है। मैं अपने कार्यकाल की समाप्ति तक भारत में विश्वस्तरीय विद्युत उत्पादन, विश्वस्तरीय राजमार्ग, बंदरगाह और हवाई अड्डे और विश्वस्तरीय बैंकिंग और संचार संबंधी बुनियादी ढाँचा देखना चाहता हूँ। हमें अपने मानकों, कार्य-निष्पादन तथा अपेक्षाओं को ऊंचा उठाना होगा। हमें 'करने की कोशिश करेंगे' वाली मानसिकता को "कर सकते है" की भावना में बदलना होगा। यह हमारे विनिर्माण क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गत दो दशकों में भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा में, विशेष कर चीन की तुलना में, अपेक्षाकृत गिरावट आई है। हम विनिर्माण के क्षेत्र में एशिया के विकासशील देशों से पिछड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते।

गत दशक के दौरान हम अपने अन्तरमुखी आवरण से धीरे-धीरे बाहर आकर विश्व के साथ बेहतर संबंध बनाने में सफल रहे हैं। इस प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। भारत को एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र के रूप में उभरना होगा। विश्व व्यापार तथा सेवा व्यापार में हमारी हिस्सेदारी से हमारी क्षमताओं तथा सम्भावनाओं का पता चलना चाहिए। भारत सहस्त्रब्दियों से भारत विश्व अर्थ-व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। हमें इस साहसिक भावना को पुनः जगाना होगा और विश्व के साथ आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से सक्रिय संबंध बनाने होंगे। तथापि, अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकसित होती विश्व अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठाते हुए हमें पश्चिम की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्थाओं के बाद की उपभोक्ता आदतों का अनुकरण करने से बचना होगा। उपभोग की ये आदतें पृथ्वी की जीवन रक्षक व्यवस्था के लिए गम्भीर खतरा हैं और इससे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुँचती है। इस प्रकार की जीवन शैली के अनुकरण से हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा और इससे आय तथा धन की असमानताएं भी बढ़ेंगी। हमारे सामने तुलनात्मक रूप से प्रति व्यक्ति कम आय के स्तर पर भी गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त करने की चुनौती है।

चौथे, हमें ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण की गति को बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्पूर्ण राष्ट्र इसमें शामिल हो। हमारी उत्कृष्टता के कुछ ज्यादा उद्यमशील केन्द्रों के अनुभव का इस्तेमाल दूसरी जगह भी किया जा सकता है। "ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था" सामान्य योग्यता के सागर में एक द्वीप नहीं हो सकती और न ही इसे बाकी अर्थ व्यवस्था से अलग किया जा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जीवन के हरेक क्षेत्र में रच-बस जाए और इससे एक ज्यादा कुशल, पारदर्शी, जिम्मेदार तथा संवेदनशील व्यवस्था विकसित हो। इससे सरकार और औद्योगिक तथा कृषि, दोनों क्षेत्रों की दक्षता में सुधार लाया जाना चाहिए। लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए आधुनिक विज्ञान के प्रयोग में इ - चौपाल जैसे शो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें उद्यमशील रचनात्मकता के ऐसे और उदाहरणों की जरूरत है।

देवियो एवं सज्जनो

मैं आपके विचारार्थ यह विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण का संबंध केवल सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं के सृजन से ही नहीं है। इसका अभिप्राय केवल व्यावसायिक तथा तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों का सृजन ही नहीं है बल्कि एक बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा ब्रॉडबेण्ड सम्पर्क व्यवस्था भी विकसित करना है। एक वास्तविक ज्ञान-आधारित समाज में वैज्ञानिक तथा बौद्धिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रियाओं को पुनर्निर्धारित करने के हमारे प्रयास और हमारे राजनीतिक कार्यक्रम और नीतियाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित होनी चाहिएं। पंडितजी और इंदिरा जी का हमारे उप-महाद्वीप की बौद्धिक विचारधारा में यह महान योगदान था। हम सभी में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की उनकी प्रतिबद्धता असंदिग्ध थी। 21वीं सदी में भारत को एक आशावादी, आधुनिक तथा बौद्धिक देश के रूप में आगे आना चाहिए जहाँ धार्मिक उन्माद, जातिवाद तथा अन्धविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं हो।

ऐसे भारत को सहानुभूतिशील भी होना चाहिए। इसमें उपेक्षित वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। हमें कमजोर लोगों को अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाने की भी जरूरत है ताकि बदलाव से पड़ने वाले विपरीत असर से कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। हमारे समक्ष चुनौती सामाजिक समता की स्थायी चिन्ता को उत्कृष्टता के साथ समन्वित करने और धन सृजन की प्रक्रियाओं को जारी रखने की है।

मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन क्षेत्रों में रचनात्मकता और उद्यमशीलता की नई उँचाइयों तक पहुँच सकते हैं। अगला दशक व्यक्तिगत उद्यम और सामूहिक प्रयास पर आधारित भारतीय रचनात्मकता के आरम्भ का दशक होना चाहिए। अपनों को लाभ पहुँचाने और सस्ती लोकप्रियता की राजनीति हमें बहुत आगे नहीं ले जा सकती। हम इस तथ्य की पहचान के लिए जनता और भविष्य के आभारी हैं कि हमारी भूमि सृजनशीलता और उद्यमशीलता की भूमि रही है और हमें इन तत्वों का उपयोग करना चाहिए ताकि संभावनाओं में वृद्धि की जा सके तथा इसे और आगे बढ़ाया जा सके।

सरकार, हमारे राजनीतिक नेतृत्व और सिविल समाज का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से स्थिर तथा समाज और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हो। अब तक हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं ने यह सुनिश्चित कर अच्छा कार्य किया है कि हम एक दिशा में ज्यादा झुककर अपना संतुलन न खो दें। हमारी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में दोषों को दूर करने की क्षमता निहित है जिसने परिवर्तन की प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान की है। हमें इस जरूरत पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। क्षेत्रों के बीच, समुदायों के बीच, भाषाई तथा जातीय समूहों के बीच, मानव तथा प्रकृति के बीच, हमारे और हमारे पड़ोसियों के बीच असंतुलन को हमेशा दूर किया जाना चाहिए।

विकास प्रक्रिया की यह मौलिक आवश्यकता है जिससे हम अपनी वास्तविक क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्र को अपनी आर्थिक क्षमताओं से आगे भी सोचना चाहिए। अगले दशक के अंत तक हम विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में जाने जाएंगे। हमारा देश पहले से ही विश्व का सबसे बड़ा बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक, बहु-जातीय, बहु-भाषाई लोकतंत्र है। राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रयोग का सफल होना और एक अरब लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अधिकार-सम्पन्न बनाना 21वीं सदी में मानवता के भविष्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेकिन इस क्षेत्र में भी हमें कुछ करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी और मुझे विश्वास है कि अगले दशक में हमारी युवा पीढ़ी को इस चुनौती का सामना करना होगा।

हमारे राजनैतिक जीवन में सामाजिक चेतना और व्यक्तिगत ईमानदारी जैसे गुणों वाले व्यावसायिक लोगों तथा नेताओं की जरूरत है। हमारे सामाजिक संगठनों को निरन्तर सक्रिय और सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। हमारे लोकतंत्र को नए खून के संचार से निरन्तर नवजीवन प्रदान करते रहना चाहिए। अगले दशक तक हमारे चुनावी चक्र को "एन्टी-इनकम्बेन्सी" तथा इसमें निहित नकारात्मक प्रवृत्तियों के रूप में परिभाषित करना बन्द होना चाहिए। इसकी पहचान परिवर्तन, सशक्तीकरण तथा आधुनिकीकरण की सकारात्मक राजनीति के रूप में होनी चाहिए। राजनीतिक प्रक्रियाओं में हेरा-फेरी करने के लिए धर्म तथा जाति के इस्तेमाल को रोकने हेतु उपायों तथा साधनों का पता लगाना आवश्यक है। राजनीति को केवल पावर के टिकट के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के एक उद्देश्यपूर्ण साधन के रूप में अपनी भूमिका तलाशने की जरूरत है। इस सन्दर्भ में राजनीतिक दलों के कार्यकलापों में सुधार लाने को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक दलों के वित्तपोषण को यथासम्भव पारदर्शी बनाने की जरूरत है। हमारी राजनीतिक प्रक्रिया पर बिना हिसाब-किताब के आय और धन की पकड़ को काफी कम करना होगा।

यदि हम अपने घर में ऐसे भारत का निर्माण कर सकें तो यह अपने को एक नए संसार में पाएगा। विश्व एक नए दृष्टिकोण से हमारी ओर देखेगा। हमारे पड़ोसी देश हमें ज्यादा अनुकूल पाएगें और हमारा अधिक गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। अगले दशक में मैं भारत को खुशहाल और शान्तिपूर्ण पड़ोसियों के साथ रहते देखना चाहता हूँ। मैं भारत को सम्पूर्ण एशिया और पूरे हिन्द महासागरीय क्षेत्र के साथ सक्रिय संबंध स्थापित करते हुए

देखना चाहता हूँ। शांति बनाए रखने, पर्यावरण की सुरक्षा करने तथा खुशहाली लाने में स्वेच्छा से भागीदारी करते हुए सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करते हुए देखना चाहता हूँ।

सन् 2015 में भारत योग्य तथा सशक्त, स्वस्थ और लाभप्रद रोजगारों में लगे, आधुनिक, बौद्धिक और विश्व के साथ सक्रिय सहयोग करने वाले पुरुषों तथा महिलाओं का देश होगा। अगले दशक के अन्त तक मेरे सपनों का भारत ऐसा ही होगा। एक दशक वास्तव में कोई ज्यादा समय नहीं होता है। मुझे आशा है कि जो कुछ भी हमें करना है उसे जल्दी से करने के मेरे आग्रह से आप सभी सहमत होंगे। हमारे सपनों के भारत के निर्माण में हमारे साथ कार्य करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ।

धन्यवाद।

*****